न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 50 / 2024 GCMS No.–2024/160

श्रवणलाल पुत्र दौलतराम जाति जाट, निवासी ग्राम खुसर तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

....निगरानीकर्ता

बनाम

1. रमेश चौधरी पुत्र सूरजमल चौधरी जाति जाट हाल निवासी ग्राम रामनगरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत जयपुरा जरिये सरपंच जयपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. उपायुक्त नगर निगम जगतपुरा जयपुर कार्यालय पता नगर निगम रोड, सांगानेर, जिला जयपुर।

.....विपक्षीगण

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत जयपुरा के द्वारा दिनांक 17.12.1981 को जारी किया गया पट्टा संख्या 19 वाके ग्राम रामनगरिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर को निरस्त करने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री रामजीलाल चौधरी अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री लालचन्द जाट अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 की ओर से।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

निर्णय दिनांकः 15.09.2025

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत जयपुरा, पंचायत समिति सांगानेर के आदेश दिनांक 17.12.1981 की पालना में गैर निगरानीकार संख्या 1 के भाई स्व0 मुन्नालाल पुत्र सूरजमल चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम रामनगरिया, तहसील सांगानेर के पक्ष में पट्टा संख्या 19 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 16.12.2024 को न्यायालय में प्रस्तुत की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 की ओर अधिवक्ता श्री लालचन्द जाट उपस्थित आये। विपक्षी संख्या 3 की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं आया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मिसल तलब की गई। उपायुक्त जगतपुरा जोन नगर निगम ग्रेटर से प्राप्त पत्र अनुसार नगर निगम कार्यालय में पट्टा पत्रावली अनुपलब्ध है। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गई तथा पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान अभिभाषकउभय पक्ष सुनी गई।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

योग्य अभिभाषक निगरानीकार द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि स्व0 मुन्नालाल पुत्र सूरजमल चौधरी ने ग्राम पंचायत जयपुरा के पूर्व सरपंच रामगोपाल पारीक से मिलकर ग्राम रामनगरिया की आबादी भूमि का एक फर्जी व कूटरचित पट्टा संख्या 19 बना लिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी निगरानीकार द्वारा माननीय न्यायालय में

पेश की गयी है। निगरानीकार ने ग्राम रामनगरिया में आबादी क्षेत्र में दो आबादी भूखण्ड गेन्दी पत्नी गोपाल व गोपाल पुत्र महादेव से क्रय किये। खसरा नंबर 202, 203, 204, 205, का मालिकाना हक गोपाल के पिता महादेव के फौत होने पर जरिये विरासत का नामान्तकरण दिनांक 29.07.1972 को गोपाल के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। उसी समय से गोपाल पुत्र महादेव का उक्त खसरा नंबरान पर कब्जा चला आ रहा है एवं कब्जे के आधार पर ही तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत जयपुरा रोशन लाल मीणा द्वारा नियमानुसार 25.03.1982 को गेंदी के हक में एवं 25.10.1982 को गोपाल के हक में पट्टे जारी किये गये। गैर निगरानीकार संख्या 2 ने उक्त दोनो भूखण्डो को क्रय करने के बाद में भूखण्डों के चारो ओर पुख्ता बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करवाया तथा नगर निगम में समस्त नगरीय विकास शुल्क वर्ष 1981 से 2018 तक की बकाया राशि जमा करवाकर नगर निगम जयपुर से पुर्नगठन की स्वीकृति बाबत 1,81,507 रूपये जमा करवा दिये एवं दिनांक 01.09.2017 को कार्यालय उपायुक्त नगर निगम जोन सांगानेर से पुनर्गठन की स्वीकृति प्राप्त हो गयी। नगर निगम ने नियमानुसार नक्शा अनुमोदित किया एवं विक्रय पत्र के आधार पर बिजली कनेक्शन भी गोपाल से निगरानीकार के नाम से वर्ष 2007 में ट्रांसफर हो गया था। निगरानीकार के दोनो भूखण्ड खसरा नंबर 203, 202 की आबादी भूमि में स्थित है जो अर्सेदराज से गोपाल व उनकी पत्नी के हक व स्वामित्व की थी। निगरानीकार के क्रयशुदा आबादी भूखण्डो पर स्व0 मुन्नालाल पुख्ता निर्माण कर रहे थे जिस पर गैर निगरानीकार संख्या 1 एवं मुन्नालाल के साथ एक 100 रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 25.02.2007 को समझौता हुआ जिस बाबत स्व0 मुन्नालाल को अक्षरे पांच लाख रूपये अदा किये गये। स्व0 मुन्नालाल ने पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत जयपुरा रामगोपाल पारीक से साज कर फर्जी पट्टा संख्या 19 दिनांक 17.12.1981 को जारी किया हुआ बनवा लिया एवं निगरानीकार के विरूद्ध अभियोग संख्या 120/18 दिनांक 08.02.2018 को दर्ज करवाया गया। निगरानीकार ने भी एक अभियोग संख्या 463/2018 दर्ज करवायी गयी। अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुन्ना लाल द्वारा पेश किये गये पट्टे को फर्जकारी कर फर्जी पट्टा तैयार किया जाना पाये जाने से प्रकरण में एफ.आर. अदम वकू झूठ में किता की गयी। प्रथम सुचना रिपोर्ट संख्या 463/2018 में रामगोपाल को स्व. मुन्नालाल को निगरानीधीन फर्जी पट्टा जारी करने के कारण जेल भेजा गया। प्रकरण में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जयपुर पूर्व द्वारा विस्तृत जांच कर पुलिस आयुक्त जयपुर पूर्व को रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है एवं उक्त वर्णित रिपोर्ट में भी प्रतिवादी का कब्जा स्पष्ट रूप से अंकित है। दौराने पुलिस जांच अनुसंधान अधिकारी द्वारा स्व. मुन्ना द्वारा पट्टे की छायाप्रति पेश की जिस पर सरपंच रामगोपाल पारीक के हस्ताक्षर होना बताया, परन्तु उस पर सरपंच की सील लगी हुयी नहीं थी। अनुसंधान अधिकारी द्वारा पट्टे पर पंचायत की सील नहीं होने के बारे में पूछने जाने एवं असल पट्टा पेश करने हेतु कहा जाने पर स्व0 मुन्नालाल द्वारा पंचायत की सील लगाकर असल पट्टा पेश किया गया। अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुन्ना

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

लाल द्वारा पेश किये गये पट्टे को फर्जकारी कर फर्जी पट्टा तैयार किया जाना पाये जाने पर स्व0 मुन्नालाल द्वारा दर्ज एफ.आई.आर प्रकरण में एफ.आर. अदम वकू झूठ में किता की गयी। पुलिस अनुसंधान में सरपंच के अधिकारो के संदर्भ में विकास अधिकारी सांगानेर से पत्र कमांक 625 दिनांक 15.07.2019 को रिकॉर्ड प्राप्त किया गया जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि पंचायत चुनाव हेतु अधिसूचना जारी होने के उपरान्त कोई भी सरपंच वोटरो के हितबद्व कार्य नहीं कर सकता है जबकि पूर्व सरपंच रामगोपाल पारीक द्वारा दिनांक 17.12.1981 को आरोपी मुन्ना जाट को पट्टा जारी किया गया हे जबकि प्रधानो के चुनावो की अधिसूचना दिनांक 14.12.1981 को ही जारी हो चुकी थी। अधिसूचना जारी होने के पश्चात सरपंच द्वारा कोई पट्टा जारी नहीं किया जा सकता इसलिए निगरानीधीन पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। स्व0 मुन्ना के वारिस/गैर निगरानीकार निगरानीधीन फर्जी पट्टे की आड में निगरानीकार के कशशुदा एवं नगर निगम से पुर्नगठन एवं हस्तान्तरित भूमि पर आये दिन विवाद करते है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार जाकर ग्राम पंचायत जयपुरा के आदेश दिनांक 17.12.1981 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के भाई स्व0 मुन्नालाल पुत्र सूरजमल चौधरी जाति जाट के हक में जारी पट्टा निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि गैर निगरानीकार संख्या 1 एवं उसके भाई स्व. मुन्नालाल विगत 40 वर्षो से अधिक समय से निवास करता चला आ रहा है। उक्त भूमि पर लम्बे समय से काबिज रहने के कारण स्व0 श्री मुन्ना पुत्र सूरजमल के नाम तत्कालीन ग्राम पंचायत जयपुरा द्वारा आबादी भूमि का विकय विलेख दिनांक 17.12.1981 को नियमानुासार ही जारी किया गया है। ग्राम पंचायत जयपुरा द्वारा जारी विकय विलेख में पूर्व में तत्समय के खातेदार महादेव, जगन्नाथ की काश्त की भूमि पश्चिम में चारागाह भूमि, जो कि वर्तमान में खसरा नंबर 203/387 है, उत्तर में आम रास्ता तथा दक्षिण में महादेव, जगन्नाथ की काश्त की भूमि स्थित थी। उक्त विकय पत्र बाबत ग्राम पंचायत द्वारा विकय राशि जरिये रसीद दिनांक 17.12.1981 राजकोष में जमा कर ली गई। उक्त विकय विलेख जारी होने के पहले से व उक्त विकय विलेख जारी होने के पश्चात से भी उक्त भूमि पर सम्पूर्ण रूप से स्व. मुन्ना पुत्र सूरजमल ही काबिज रहा तथा गैर निगरानीकार स्व0 मुन्ना का सगा भाई है तथा मुन्ना के पत्नी व औलाद नहीं होने के कारण निगरानीकार स्व0 मुन्ना को जारी विकय विलेख वाली भूमि पर काबिज होकर निवास करता आ रहा है। स्व0 मुन्ना का देहान्त दिनांक 14.11.2018 को हो जाने के उपरान्त से निगरानीकार ही उक्त भूमि पर वर्तमान में काबिज है। निगरानीकार द्वारा नगर निगम के समक्ष फर्जी तथ्य रखकर नगर निगम से पुर्नगठन आदेश प्राप्त किया, परन्तु नगर निगम द्वारा उक्त दोनों आदेशो में अंकित किया गया कि हस्तान्तरण पत्र दिनांक 11.01.2013 से कोई कानूनी विवाद होने पर स्वामित्व संबंधी हक, अधिकार उत्पन्न नहीं होंगें व विवाद होने की दशा में या मौके व परिस्थितियों के विपरीत पाये जाने पर

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। निगरानीकार द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर निगरानी पेश की गयी है इसलिए निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। उपायुक्त जगतपुरा जोन नगर निगम ग्रेटर से प्राप्त पत्र अनुसार मुन्नालाल को जारी निगरानीधीन पट्टा पत्रावली नगर निगम कार्यालय में अनुपलबध है इसलिए विचाराधीन प्रकरण का निस्तारण पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते है। पत्रावली पर उपलब्ध गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा दर्ज करवायी गयी एफ.आई.आर. संख्या 463/2018 में सहायक पुलिस आयुक्त सांगानेर जयपुर (पूर्व) द्वारा पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व) को प्रेषित जांच रिपोर्ट कमांक 115 दिनांक 10.01.2020 का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

दौराने अनुसंधान निगरानीधीन पट्टे के संबंध में ग्राम पंचायत जयपुरा के तत्कालीन सरपंच रामगोपाल पारीक के बयान लिये गये एवं रामगोपाल पारीक द्वारा स्वीकार किया गया कि वह जनवरी 1982 तक ग्राम जयपुरा का सरपंच रहा था तथा उक्त पट्टा दिनांक 17.12.1981 को स्वयं के द्वारा जारी करना बताया गया। उक्त संबंध में दिसम्बर 1981 में सम्पन्न चतुर्थ पंचायत आम चुनावों में निर्वाचित सरपंचो के नाम की अधिसूचना व दिनांक 14.12.1981 की पंचायत समिति प्रधान निर्वाचित करने हेतु निर्वाचन विभाग की अधिसूचना की प्रमाणित प्रतियां अधीक्षक केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर से प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। उक्त दस्तोवजों में दिसम्बर 1981 में नवनिर्वाचित सरपंच ग्राम पंचायत जयपुरा रोशनलाल मीणा होना पाया गया। निगरानीधीन पट्टा 17.12.1981 को जारी किया गया जबकि 14.12.1981 को पंचायत समितियों के प्रधान चुनावों की अधिसूचना जारी कर दी गयी थी एवं सरपंचो के आम चुनाव के बाद ही प्रधान चुने जाते थे। इसलिए उक्त पट्टे पर जारीकर्ता रामगोपाल पारीक के द्वारा जो हस्ताक्षर किये गये है वो कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात किये गये है एवं अपने कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात किये गये है।

निगरानीधीन पट्टे के संबंध में सहायक पुलिस आयुक्त सांगानेर जयपुर (पूर्व) की जांच रिपोर्ट अनुसार मुन्नालाल के द्वारा माननीय न्यायालय एम.एम.कम 20 सांगानेर जयपुर महानगर में दिनांक 24.05.2017 को सिविल दावा संख्या 09/17 बाबत स्थायी निषेधाज्ञा मुन्ना बनाम गुला देवी उर्फ गेंदी पेश किया गया। उक्त दावे में अंकित किया गया कि खसरा नंबर 115 के लगती हुयी 2600 वर्गगज आबादी भूमि जिसका वादी मुन्नालाल मालिक स्वामी, काबिज है तथा खसरा नंबर 115 में वादी के नाम से बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है। परन्तु उक्त दावे में मुन्ना द्वारा उक्त आबादी भूमि का पट्टे होना अंकित नहीं किया एवं यह अंकित किया कि दिनांक 06.03.2017 को प्रार्थी ने उपरोक्त भूमि का पट्टा जारी करने का निवेदन किया है। इससे स्पष्ट होता है कि आरोपी मुन्नालाल के पास वाद दायर करने की दिनांक 24.05.2017 तक उपरोक्त पट्टा नहीं था उसके बाद

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

तत्कालीन सरपंच रामगोपाल पारीक के साथ मिलीभगत कर पिछली तारीख का निगरानीधीन फर्जी पट्टा तैयार करवाया गया है। निगरानीधीन पट्टे के संबंध में तत्कालीन सरपंच रामगोपाल पारीके विरूद्ध अपराध साबित होने से गिरफ्तार किये जाने के आदेश सहायक पुलिस आयुक्त सांगानेर जयपुर पूर्व द्वारा प्रदान किये गये।

न्यायालय हाजा के समक्ष गैर निगरानीकार रमेश चौधरी द्वारा विवादित भूमि के संबंध में पंचायत निगरानी संख्या 27/24 बउनवानी रमेश बनाम गेंदी देवी पेश की गयी है एवं प्रकरण के तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुए रमेश चौधरी की पंचायत निगरानी खारिज की गयी है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार जिस प्रश्नगत भूमि के संबंध में निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया है वह भूमि निगरानीकार की कयशुदा भूमि है। नगर निगम द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मौका निरीक्षण किया जाकर स्वामित्व रिपोर्ट प्राप्त कर निर्धारित शुल्क 1,81,507 रूपये जमा कर आदेश कमांक 1173 दिनांक 01.09.2017 से पुर्नगठन आदेश जारी कर भूखण्डो का हस्तान्तरण निगरानीकार के हक में किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो, दस्तावेजात, एवं सहायक पुलिस आयुक्त सांगानेर जयपुर (पूर्व) द्वारा विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत जयपुरा द्वारा निगरानीधीन पट्टा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जारी किया जाना जाहिर होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत जयपुरा, पंचायत समिति सांगानेर द्वारा मिसल संख्या 13 आदेश दिनांक 17.12.1981 द्वारा स्व0 मुन्ना पुत्र सुरज जाति जाट निवासी ग्राम रामनगरिया, तहसील सांगानेर के हक में जारी पट्टा संख्या 19 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु उपायुक्त जोन जगतपुरा, नगर निगम ग्रेटर को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनीता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर